म0प्र0शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ–भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–432/2120081/2024/20–3 भोपाल, दिनांक 28 /6/2024

प्रति,

सचिव
सी0बी0एस0ई0,
नई दिल्ली।

विषयः– अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् व्दारा अशासकीय संस्था–**विद्या इंटरनेशनल स्कूल गेहूखेड़ी, जिला–विदिशा, म0प्र0** को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु ***अनापत्ति प्रमाण*** पत्र निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान किया जाता हैः–

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबंद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(2) विद्यालय प्रबंधन व्दारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके व्दारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) संस्था व्दारा प्रवेश संबंधी नियम प्रकिया तथा निर्धारित शुल्क यथा–समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नही किया जायेगा।

(4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र–शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिया जाय।

(5) संस्था व्दारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रधान की ......

निरन्तर...2

जावेगी।

(6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नही करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पायी गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(7) छात्र/छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नही रहेगी।

(8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस भेजने के लिये परिवहन विभाग व्दारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 आदि से संचालित नही किया जायेगा।

(9) शिक्षण संस्था में मान0 उच्चतम न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जायेगी तथा इस संबंध में भारत सरकार व्दारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।

(10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग व्दारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ाबा देने वाली किन्ही पुस्तकों का संग्रहण नही किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन व्दारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नही रखी जा सकेगी।

(12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग व्दारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

(13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता ....

निरन्तर..3

अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्कीनिंग प्रकिया नही अपनायेगा।

(14) संबंधित विद्यालय व्दारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा-शर्ते जो कि राज्य शासन के समरूप होना चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।

(15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक वार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नही करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते है, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नही कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।

(16) अशासकीय विद्यालयों में संचालित वाहनों में एक महिला एवं एक पुरूष परि-चालक की व्यवस्था की जाय तथा वाहन में निर्धारित सीट से अधिक छात्र/छात्राओं को नही बैठाया जाय।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तो का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

28/6/24

(ओ0एल0मण्डलोई)
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0कमांक-433/2120081/2024/20-3 भोपाल, दिनांक 28/6/2024

प्रतिलिपिः-

(1) विशेष सहायक, मान0 मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

(2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।

निरन्तर...4

(3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।

(4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग.....................म0प्र0।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–विदिशा, म0प्र0।

(6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था–**विद्या इंटरनेशनल स्कूल गेहूखेड़ी, जिला–विदिशा, म0प्र0।**

(7) फोल्डर प्रति,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/6/24

उप सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग